न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—83 / 2020 / 223 (2020 / 00083)

1. कालूराम पुत्र सुवा,
2. गोविन्द पुत्र सुवा,
3. मिठूलाल पुत्र सुवा,
4. रामलाल पुत्र सुवा,
5. पप्पू पुत्र सुवा,

जाति गुर्जर, निवासी ग्राम अवाणा की पाल, पटवार क्षैत्र मदनगंज, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. छोटू पुत्र सूरजकरण, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम अवाणा की पाल, पटवार क्षैत्र मदनगंज, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।

असल रेस्पोडेंटस

2. श्रीमती मन्नादेवी पुत्री सुवा पत्नि बागा, जाति गुर्जर, निवासी अवाणा की पाल, हाल निवासी तेडवा की ढाणी, बबाईचा, तह0 व जिला अजमेर ।
3. श्रीमती हीरा पुत्री सुवा पत्नि रामनारायण, जाति गुर्जर, निवासी अवाणा की पाल हाल निवासी भूतियास, तह0 परबतसर, जिला नागौर ।
4. श्रीमती नौसर पुत्री सुवा पत्नि श्योजी, जाति गुर्जर, निवासी अवाणा की पाल, हाल निवासी लदेरा, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
5. श्रीमती संतोष देवी पुत्री सुवा पत्नि हरजी, जाति गुर्जर, निवासी अवाणा की पाल हाल निवासी बाडया तन कुचील, तह0 किशनगढ, जिला अजमेर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़, जिला अजमेर ।

तरतीबी रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़, दिनांक 15.5.2012 अंतर्गत वाद संख्या 94 / 2009.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री प्रदीप यादव, वकील अपीलांटस ।
2. ईश्वर देवड़ा, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री नवीन गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 2 से 5.
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पो0 संख्या 6.

<u>निर्णय</u>

दिनांकः— 3.9.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.5.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी / रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध

प्रतिवादी/अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पो0 के पेश कर कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 के संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि मदनगंज स्थित खसरा नंबर 1365 रकबा 1 बिस्वा गै0मु0चाह एवं खसरा नंबर 1366 रकबा 36 बीघा 8 बिस्वा अवस्थित है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 का 1/2 हिस्सा निहित है तथा हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादीगण काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा मौके पर भूमि अविभाजित है । वादग्रस्त भूमि का विभाजन नहीं होने से वाद विवाद होता रहता है । अतः वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके हिस्से अनुसार व मौके पर कब्जे अनुसार नीवं–सींव से विभाजन किया जाकर विभाजन की डिक्री पारित की जावे। अधी0न्याया0 ने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.5.2012 को पारित कर वादी का वाद स्वीकार किया तथा तहसीलदार को बंटवारा प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.5.2012 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विवादित आराजियात वादी/रेस्पो0 एव0 प्रतिवादीगण/अपीलांटस की सह खातेदारी की पुश्तैनी भूमि है जिसके विभाजन के लिए घोषणा के लिए वाद प्रस्तुत किया गया था किन्तु वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 छोटू ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर विभाजन प्रस्ताव में हेरफेर करवा दी जिससे वादग्रस्त आराजियात का विभाजन सही रूप से नहीं हो पाया है । वर्तमान अपीलांटस इस विभाजन से असंतुष्ट है । विवादित आराजियात का विभाजन प्रस्ताव बनाने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना की गई है । राजस्व कर्मचारियों द्वारा विभाजन प्रस्ताव बनाने से पहले वर्तमान अपीलांट को ना तो कोई सूचना दी गई ना ही किसी प्रकार का विधिक नोटिस ही दिया गया था तथा विभाजन प्रस्ताव बनाते समय एवं विवादित आराजियात का मौका नक्शा तैयार करते समय एवं खातों का बंटवारा व लगान का बंटवारा करते समय अपीलांट मौके पर अनुपस्थित थे जिसे कारण विभाजन प्रस्ताव खातों का बंटवारा सही प्रकार से नहीं हो पाया है जिसे नजरअंदाज कर अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि विरूद्ध होकर निरस्तनीय है । वाद में विवादित आराजियात का विभाजन प्रस्ताव बंटवारा एवं कब्जा व मौके की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई थी जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष उभयपक्षकारान काबिज अनुसार बंटवारे से सहमत थे तथा अधी0न्याया0 ने तहसीलदार को निर्देश भी इस बात के दिये थे फिर भी इस अनुरूप पक्षकारान के काबिज काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.5.2012 निरस्त किया जावे तथा दोनों पक्षों की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट तलब कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मौके पर कब्जे काश्त की स्थिति के अनुसार वादग्रस्त आराजियात का विभाजन किये जाने का आदेश फरमावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि प्रार्थी ग्रामीण परिवेश का अनपढ़ व्यक्ति है जिसे कानूनी प्रक्रिया का कोई ज्ञान नहीं है । प्रार्थी ने अधी0न्याया0 के समक्ष पैरवी हेतु अपना अधिवक्त नियुक्त किया था जिन्होंने प्रार्थी को पूर्व में यह कानूनी सलाह नहीं दी कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री कब्जा मौका के विपरीत है । अभी हाल ही में दिनांक 13.1.2020

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

को उक्त प्राथमिक डिक्री के आधार पर पारित अंतिम डिक्री पातिर होने पर प्रार्थी द्वारा जानकारी चाही जिस पर प्रार्थी को सलाह दी कि उक्त दोनों निर्णयों को चुनौती देनी होगी । जिस पर प्रार्थी ने आवश्यक नकलों व फीस आदि का प्रबंध कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री विधिसम्मत् है । राजस्व रिकार्ड में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 वादग्रस्त आराजियात का 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 हिस्सा 1/2 दर्ज होकर आराजियात संयुक्त खाते में अंकित है । अपीलांट ने अपील में यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसके हिस्से में कमी की जाकर रेस्पो0 के हिस्से में अधिक भूमि रखी गई हो । अधी0न्याया0 ने राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्से अनुसार एवं मौके पर काबिज अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य वादग्रस्त भूमि का बंटवारा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.5.2012 के विरूद्ध अपील दिनांक 26.5.2020 को लगभग 8 वर्ष की भारी मियाद बाहर पेश की है । अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे भी उचित एवं सद्भाविक प्रतीत नहीं होते है क्योंकि अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतिम डिक्री हेतु विचाराधीन था जिसमें <u>अपीलांटस/प्रतिवादीगण</u> द्वारा तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा पूर्व में दिनांक 26.12.2014 को बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अधी0न्याया0 को भिजवाये गये थे जिस पर प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा ने प्रार्थना पत्र वास्ते आपत्तियां पेश प्रस्तुत करने बाबत् पेश किया था जिससे स्पष्ट है कि अपीलांटस को अधी0न्याया0 द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की प्रारंभ से जानकारी थी तथा उनके द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष अंतिम डिक्री के संबंध में होने वाली संपूर्ण कार्यवाही में भाग लिया जाता रहा है इसके बावजूद अपीलांटस द्वारा लगभग 8 वर्षो के भारी अंतराल बाद वाद में अंतिम डिक्री पारित होने के उपरांत प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपील पेश की है । अपीलांटस द्वारा प्रार्थना पत्र में बताये गये विलंब के कारण उचित एवं सद्भाविक प्रतीत नही होने से अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील भारी मियाद पेश किये जाने से मियाद बिन्दू पर खारिज योग्य पायी जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात कुल किता 2 कुल रकबा 36 बीघा 9 बिस्वा वाकै ग्राम मदनगंज में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 का 1/2 हिस्सा होकर अविभाजित आराजियात है । अतः वाद स्वीकार कर वाद में चाहे अनुसार तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विवादित आराजियात का विधिक विभाजन किया जावे । राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 ग्राम मदनगंज के खाता संख्या नया 70 पुराना 558 के खसरा संख्या 1365 रकबा 0–1–0 गै0मु0चाह एवं खसरा संख्या 1366 रकबा 36–8–00 बीघा भूमि कालूराम, गोविन्द, मिट्ठूलाल, रामलाल, पप्पू पि0 सुवा, मन्नादेवी, हीरा, नोसर, संतोष पुत्रियां सुवा 1/2 हिस्सा बराबर, छोटू पि0 सूरजकरण हिस्सा 1/2 कौम गुजर सा0देह

राजस्व अपील अधिकारी अजमेर

अवाण की पाल खातेदार दर्ज है । उक्त राजस्व जमाबंदी अनुसार विवादित आराजियात में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 का 1/2 हिस्सा है । अधी0न्याया0 ने राजस्व जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर काबिज अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है । अपीलांटस ने अपीलमीमों में यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से से कम भूमि उसके हिस्से में रखी गई है। अपीलांटस ने केवल मात्र बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार स्वंय द्वारा तैयार नहीं कर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये जाने का कथन किया है । अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से प्राथमिक डिक्री में त्रुटि होना साबित करने में असफल रहे है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.5.2012 में हमें कोई त्रुटि प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

9. अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद एवं गुणावगुण पर खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.5.2012 यथावत् रखी जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर.

10. निर्णय आज दिनांक 3.9.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

डिगरी ब सीगे अपील

(ओ.41,रूल35 जाप्ता दिवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "G"-9)

अज अदालत : **राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।**

ब इजलाशः– श्रीमती मेघना चौधरी, आर.ए.एस.

कालूराम पुत्र सुवा जाति गुर्जर निवासी अवाणा की पाल, पटवार क्षैत्र मदनगंज तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर व अन्य ।

बनाम

छोटू पुत्र सूरजकरण जाति गुर्जर निवासी अवाणा की पाल, पटवार क्षैत्र मदनगंज, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर व अन्य ।

– – –

अपील संख्या 83/2020 (2020/00083) ब नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ मुबर्खे 15 माह 05 सन् 2012, प्रकरण संख्या 94/2009,

दावा बाबत् : अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम.1955

यह अपील ब तारीख 03 माह 09 सन् 2021 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ब हाजिरी श्री प्रदीप यादव वकील मिनजानिब अपीलांट,व श्री ईश्वर देवड़ा, रेस्पोडेन्ट संख्या 01, श्री नवीन गुर्जर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 05 श्री विकास पाराशर रेस्पोडेन्ट संख्या 6 (राजकीय अभिभाषक) समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ हैं कि:–अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील **मियाद एवं गुणावगुण पर खारिज की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.05.2012 यथावत् रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक—x— रूपये—x—. अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का—x— अदा करें।)

बस्बत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 03 माह 09 .सन् 2021 को जारी किया गया।

मोहर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पोडेन्ट	रूपये	पैसे
1.स्टाम्प अपील	–		1.स्टाम्प वकालतनामा	–	
2.स्टाम्प वकालतनामा	–		2.स्टाम्प अर्जी	–	
3.इजराय हुक्मनामा	–		3.इजराय हुक्मनामा	–	
4.वकील फीस बाबत्	–		4.महनताना वकील	–	
मीजान	–		मीजान	–	

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें।

Judil/Civil